>

Title: Regarding the impact of ban on Tiger Park Tourism in the country.

श्री सतपाल महाराज: महोदय, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी टाइगर सैंक्चुअरीज हैं, वहां पर पर्यटकों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे कि हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड के अंदर जहां पर टाइगर सैंक्चुअरीज हैं, वहां पर पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लग गयी है। मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर जो टाइगर सैंक्चुअरी है, जिम कार्बेट पार्क है, उसके अंदर कोर एरिया आइडेंटीफाइड है। राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर या जो अन्य टाइगर सैंक्चुअरीज हैं, वहां पर कोर एरिया आइडेंटीफाइड नहीं हैं। तो जहां पर कोर एरिया आइडेंटीफाइड है, उसके बाद बफर जोन आती है, वहां पर बफर जोन के लिए जो राज्य सरकारें हैं, जो केंद्र सरकार है, वह इसकी अनुमति प्राप्त करे जिससे कि पर्यटक वहां पर आकर के टाइगर को देख सकें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कोर एरिया के अंदर टाइगर की ब्रीडिंग होती है और वहां किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं होती है, इसलिए बफर जोन के अंदर पर्यटन आगे बढ़े। हमें राजस्थान से सूचना मिली है कि वहां जो पैलेस ऑन व्हील्स थी, उसकी सारी बुकिंग कैंसल हो गयी, गुजरात के अंदर बुकिंग कैंसल हो गयी और अधिक से अधिक लोग इस समय देखने के लिए नेपाल जा रहे हैं। भारत को टूरिज्म से जो रेवेन्यू आता था, उसकी बहुत क्षति हो रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि कोर एरिया को छोड़कर बफर जोन के अंदर पर्यटन को बढ़ाया जाए।